

प्रेषक,

नेहा गंगवार,  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,  
मीरजापुर।

सेवा में,

भा0 महानिबन्धक  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा:-

भा0 जनपद न्यायाधीश,  
मीरजापुर।

विषय:-

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एल.एल.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा 1956 के अधिनियम संख्या-XII से स्थापित) द्वारा संचालित एल.एल.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। सुलभ सन्दर्भ हेतु उपर्युक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किये गये प्रोसपेक्टस के सुसंगत पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-1)। उपरोक्त के अनुसार एल.एल.एम. जनवरी 2020 सत्र में प्रवेश लेने हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28 फरवरी-2020 है।

महोदय को ससम्मान अवगत कराना है कि विधि में परास्नातक करने से निश्चित रूप से मेरे विधि के ज्ञान एवं परिणाम स्वरूप आदेशों एवं निर्णयों की गुणवत्ता परिष्कृत होगी।

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से परास्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के कारण मेरे न्यायिक कार्यों में कोई भी व्यक्धान नहीं होगा और यह अध्ययन मैं न्यायालय समय से पूर्व या उसके उपरान्त भली प्रकार से अपने नियुक्ति स्थल पर रहते हुए कर सकती हूँ। इस अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और न ही अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) लेने की आवश्यकता होगी। इस कारण मेरे द्वारा सम्पादित किया जाने वाला न्यायिक कार्य प्रभावित नहीं होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-DDE/S-ii/DE-1/18/63979 दिनांकित 17.12.2018 जारी की गयी है, जिसके माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि दूरस्थ शिक्षा हेतु किसी भी दैनिक कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाता है, बल्कि पत्राचार के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती है। सुलभ सन्दर्भ में उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।

अतएव माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विधि स्नातकोत्तर (एल.एल.एम.) के सत्र-2020 में प्रवेश प्राप्त कर शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति माननीय न्यायालय से प्रदान कराने की कृपा करें।

सादर!

दिनांक-03-02-2020  
संलग्नक-यथोक्त।

नेहा गंगवार  
(नेहा गंगवार)  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम  
मीरजापुर।  
आई.डी.नं.-यू.पी.-2038

अपसरित

अपर न्यायाधीश  
मीरजापुर  
03-02-2020